बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

734(17)
14.07.25

संकल्प

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों यथा–सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप विभिन्न विषयों में प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक की व्याप्त कमी एवं कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के निरंतर सेवानिवृत होने के फलस्वरूप चिकित्सक शिक्षकों की कमी होती जा रही है।

2. राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS सीटों की नामांकन क्षमता बढ़ाने/पी०जी० पाठ्यक्रमों की मान्यता बनाये रखने/नये सीटों के सृजन हेतु सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों पर आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सक शिक्षकों का संविदा नियोजन किया जाना आवश्यक है।

3. जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ में चिकित्सक शिक्षकों की अत्यन्त कमी है। साथ ही भविष्य में संचालित होनेवाले चिकित्सा महाविद्यालय यथा–सारण एवं समस्तीपुर में आगामी सत्र से शैक्षणिक कार्य शुरू किये जाने एवं MBBS सीटों पर नामांकन हेतु चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300/सा० प्र० दिनांक–13.10.2023 के द्वारा राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं के प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पुर्णतः अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों पर उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है, इसके बावजूद भी सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के अधिकांश पद रिक्त रह गये हैं।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1003 दिनांक–22.01.2021 के द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थायी पदों के रिक्तियों पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से संविदा नियोजन करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों यथा–सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के दिनांक–01.07.2025 की बैठक के मद संख्या–19 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–1003 दिनांक–22.01.2021 के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के न्यूनतम मानकों के अनुरूप सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग (प्रशाखा–17) को भी उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव।

D/Vibha g/Sankalp

(67)

ज्ञापांक–17/विविध1–26/2025–734(17) स्वा0/, पटना दिनांक– 14.07.25

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–01.07.2025 की बैठक के मद संख्या–19 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव।

11/7/2025

D/Vibha g/Sankalp